Community Policing & Good Practice

- **Senior Citizens' Schemes:** अकेले रह रहे बुजुर्ग/वृद्ध लोगो को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने के साथ ही उन्हें सुरक्षा व सहायता प्रदान करना तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु कार्यवाही।

- पुलिस थाने/ भवनों को नये सिरे से संवारने, साफ–सुथरा करके खुला व स्वच्छ वातावरण तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले लोग थाने पर आने में संकोच न करें।

- महिलाओं पर घटित अपराधों की संवेदनशीलता को मद्देनजर प्रत्येक जनपद में महिला हैल्पलाईन एवं हर थाने पर महिला डेस्क की स्थापना। इस वर्ष अब तक महिला हैल्प लाइन में प्राप्त 1387 प्रकरणों में से 1205 प्रकरणों का एवं महिला डैस्क में प्राप्त 311 प्रकरणों में से 294 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया।

- पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए एच्छिक ब्यूरों का गठन। इस वर्ष अब तक प्राप्त 323 प्रकरणों में से 284 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया।

- स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रधानाचार्यो एवं अभिभावकों के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा बैठकों का आयोजन कर उन्हें अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागृत करना।

- महिलाओं एवं नाबालिक बच्चों के अवैध व्यापार पर नियन्त्रण हेतु विशेष रूप से नेपाल से भारत के विभिन्न शहरों में नेपाली महिलाओं/लड़कियों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु जनपद चम्पावत के बनवसा में "संरक्षा" नामक एक संगठन का गठन।

- महिला सम्बन्धी अपराधों में नियंत्रण एवं पुलिस को सहयोग हेतु तथा पीड़ित को **Counselling** की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **NGO** के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जनपद देहरादून व नैनीताल में पुलिस महानिदेशक उत्तरांचल द्वारा भाग लिया गया।

- लिंग भेद को दूर करने व जागरूक करने के उद्देश से तीन जनपदों के उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का एक **Gender Sensitization Workshop** पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कराया गया जिसे मनोवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा संचालित किया गया।

- छात्र–छात्राओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए स्कूल कालिजो में **UAC & Self Defence** विषय पर ट्रेनिंग। स्कूल में पढ़ रहे **Teenage** बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में एवं समाज में बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराधों से बचाव के तरीकों की जानकारी देने के सम्बन्ध में **Un-Armed combat** वर्कशाप का आयोजन।

- मुख्य शहरों एवं कस्बों में स्कूली छात्र–छात्राओं के मध्य **Traffic Awearness Camps** चला कर प्रशिक्षित करना।